22/12/20 वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित हुआ। आदेश हेतु दिनांक 28/12/20 को पेश हो।

28/12/20 वकील वादी/प्रार्थिनी/प्रार्थी को सुनकर प्रार्थिनी ग्राम पंचायत निवासी 6 दिन व्यक्ति पंचायत द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार डिक्री की जावे और प्रार्थिनी के नाम पर ISEEA के मु० रु० 75 के बिल का पंचायत की मूल रकम सूचि खातेदारी 5 की मांग का आदेश किया जावे। प्रार्थिनी को सुना गया।

अतः वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री बिल्ल से लिखा जाकर वाकिल मिसल किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2022.12.13 12:54:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner